ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 5(2): 66-71
www.allresearchjournal.com
Received: 18-12-2018
Accepted: 22-01-2019

सुनीता वर्मा
एक्सटेंशन लेक्चरर, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़, हरियाणा, भारत।

Correspondence
सुनीता वर्मा
एक्सटेंशन लेक्चरर, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़, हरियाणा, भारत।

महिला सशक्तिकरण: विविधा आयाम

सुनीता वर्मा

सारांश
महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और 'यूएनडीपी' आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।
'1990' के दशक में महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास भी किया गया कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होकर नीति निर्माण के स्तर पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
वस्तुत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं की अपने आपको संगठित करने की क्षमता भी बढ़ती तथा सदृढ़ होती है।
इस अध्ययन के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण की अवधारणा।, आवश्यकता तथा महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न आयाम व राष्ट्रीय व-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करेगें।

मूल शब्द: पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सशक्तिकरण, सरोकार, वर्चस्व, छिनाल, संरक्षण आदि।

प्रस्तावना

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि 'सशक्तिकरण' क्या है?
'सशक्तिकरण' का तात्पर्य है 'शक्तिशाली' बनाना। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं निक्तताओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिंकार एव हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को लिया जाता है अब हम महिला सशक्तिकरण को पैलिनीयूराई के शब्दों में देखते है-
“महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर मान्यता दी जाती है।”

महिलाओं के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का कथन है कि
“भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किन्तु आंसुओं की चिन्ता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है इसमें बाबा साहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखरित किया है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरूषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की

अहम भूमिका है यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता, चेतना आएगी। अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियाँ कुरीतियाँ, कुप्रथाओं का अन्धेरा छटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाए समाज में सशक्त, समान एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती है इसके साथ ही अपनी आर्थिक व राजनैतिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है जिसमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं महत्त्वपूर्ण है।"[2]

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

महिला सशक्तिकरण का इतिहास बहुत पुराना है जिसका संक्षेप में ब्यौरा इस प्रकार है-

'1901' में तेलुगू लेखक बंडारू अछंबा की 'अबलू संचरिता रत्नमाला' को पहली महिला-इतिहास पुस्तक कहा गया। इतिहास में भारतीय नारी पर यह पहली पुस्तक थी। '1928' में सेना में किसी स्त्री की पहली नियुक्ति की गई थी।

सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज में ललिता घोष की नियुक्ति कर्नल के पद पर की थी और उनसे महिला सैनिकों की भर्ती करने को कहा था। ललिता ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई।

'1961' में 'मातृत्व-लाभ अधिनियम' के अस्तित्व में आने से मातृत्व-अवकाश की सुविधा मिलने लगी। इसी वर्ष दहेज-उन्मूलन अधिनियम भी में विशेष स्थितियों में गर्भपात को कानूनी जामा पहनाया गया। ऐसा गर्भस्थ शिशु में आई विकृति को मद्देनजर रखकर किया गया।

'1976' में समान वेतन अधिनियम लागू किया गया, जिससे महिलाओं को समान वेतन मिल पाए।

'1986' में महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखते हुए 'विज्ञापनो' में महिला की छवि को दूषित करने के खिलाफ अधिनियम लाया गया।

'1992' में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई ताकि लिंग-भेद से जुड़ मामलों को तत्परता से सुलझाया जा सके।

'1997' में महिला समलैंगिकता पर बनी भारत की पहली फिल्म फायर हिन्दू कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। यह फिल्म महिलाओं की यौन इच्छाओं से संबंधित बीएड अभिव्यक्ति मानी गई।

'1999' में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए यह कहा कि कार्य-श्रेत्र में यौन उत्पीड़न को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया जाए। इसमें भद्दे इशारे भी यौन उत्पीड़न के दायरे में शामिल किए गए।

'2005' में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा परित्यकता पत्नी को संपत्ति पर अधिकार जताने का अधिकार प्रदान किया।[3]

इस तरह आज पैतृक संपत्ति के अलावा पिता की संपत्ति में भी लड़की का बराबर हिस्सा होना लगा है। इतने सारे कानून बने हैं- स्त्री की भलाई के लिए । इसके बावजूद स्त्रियों में जागरूकता के अभाव में तथा लम्बी न्याय-प्रक्रिया के कारण स्त्रियां प्राय: अपने हित में लागू कानून का फायदा नहीं उठा पाती ।

भारतीय संविधान सर्वप्रथम इस बात को निश्चित करने का प्रयास करता है कि पुरूष एवं महिला के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। संविधान जानता है कि महिलाओं के साथ समाज में बुरा व्यवहार किया जाता है इसे लेकर ही संविधान राज्य को अनुमति देता है कि महिलाओं की भलाई के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जाएं। संविधान इस बात की आशा करता है कि राज्य महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को रोकने का प्रयास करेगा।

संविधान का 14वां अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद-15(1) यह बताता है कि भारत राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध असमानता का व्यवहार नहीं करेगा।

अनुच्छेद-15(3) के तहत बताया गया है कि राज्यों को महिलाओं के लाभार्थ विशेष उपलबंध बनाने की स्वीकृति है।

अनुच्छेद- 39(c) के अन्तर्गत कहा गया है कि पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिलेगा।

अनुच्छेद-15(अ)(इ) बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य होगा कि वह उन प्रथाओं का परित्याग करे जो महिला के सम्मान के विरूद्ध है। कुछ कानून ऐसे भी है जो महिलाओं का पक्ष लेते हुए विशेष उपबन्ध बनाते हैं:-[4]

1. विशेष विवाह अधिनियम की धारा-6 गुजारे भत्ते थे आदेश केवल पत्नी के पक्ष में देती है। इसकी वैधता को स्वीकार कर लियागया है।
2. महिलाओं को जार-कर्म (पर-पुरूष के साथ शारीरिक संबंध) की सजा देने से मुक्त रखा गया है।
3. अपराधिक प्रक्रिया की संहिता में इस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध है जो महिलाओं को जमानत पर रिहा होने के विशेष अधिकार देते है इन्हें भी वैध करार दिया गया है।
4. दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम से सम्मन जारी नहीं किया जा सकत। इस रियायत को भी न्यायालय को वैध घोषित कर दिया है।
5. इसी प्रकार शैक्षिक संस्थाओं ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान का सही पाया है।[5]

इस तरह 'स्त्री जागृति' का शब्द कानून का सहारा पाकर विस्तार पा चुका है आजकल जागृति, कल्याण आदि की बजाय 'सशक्तता' शब्द प्रचलन में है। "नारी-सशक्तता" एक आन्दोलन का रूप ले चुका है। इसी आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया। यह आयोग राष्ट्रीय महिला अयोग अधिनियम-1990 के दायरे में रहकर महिला कल्याण हेतु कार्य करने मे तत्पर है जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में इसका विस्तार है इसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है इसमें पाँच सदस्य तथा एक अध्यक्ष है। यह आयोग ऐसा निकाम है जो प्रहरी के रूप में काम करता है। यह नारी-उत्थान संबंधी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। इसका कार्य

महिलाओं के हितों की रक्षा करना है इसके अधिनियम द्वारा यह बाध्य किया जाता है कि सरकार महिला-संबंधी हर मुद्दे पर अयोग से सलाह-मशवरा करे तथा इसकी सभी सिफारिशों को संसद के सामने रखे। इसके अतिरिक्त महिलाओं के हित में कई गैर-सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं।[6]

महिला सशक्तिकण से अभिप्राय/अवधारणा

आखिर नारी सशक्तिकरण है क्या? क्या स्त्री को अपने से वस्तु से व्यक्ति समझने की दशा में पहला कदम या स्त्री में इस अहसास का होना कि वह स्वयं में पुरूष के समकक्ष एक इकाई है। वह गुलाम नहीं, इसलिए उसे समान अधिकार चाहिए। स्त्री को जैसे ही यह अहसास हो जाएगा कि समाज, विशेषकर पुरूष, उसके प्रति विवेक मूलक दृष्टिकोण अपनाए, उस पर वर्चस्व नहीं जमाए, वह प्रतिरोध करने का मन बनाने की दिशा में सोचने लगेगी। यह सोच ही नारी को सशक्त बनाती है आज तक समाज ने स्त्री में ऐसा प्रतिरोध पैदा न होने देने के लिए हर हथकंडा अपनाया है बौद्धिक स्तर पर दार्शनिकों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों ने अपनी उक्तियों, टिप्पणियों व सिद्धान्तों के माध्यम से औरत को दो नंबरी सिद्ध करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। ऊपर से धार्मिक प्रवक्ताओं ने सततर फतवें, निषेधाज्ञाएं व टैबू जारी कर उन्हें इतना भयीीत किए रखा कि वह टस से मस न हो सकें। जिस किसी स्त्री ने यह प्रयास किया, वह मारी गई या कुलटा, डायन, व्यभिचारिणी, बदचलन, छिनाल ठद्दरा दी गई।

“नारी को हाशिये से मुखपृष्ठ की ओर आते देख समाज के मन में एक भय सा बैठ जाता है कि ‘नारी सशक्तिकरण’ घर तोड़ने वाला आन्दोलन न बन बैठे। स्त्री को अपने प्रति हो रहे अन्याय को खत्म करना है। वह घर और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है और जिन्दगी भर निभाती है लेकिन इसके बदले उसे प्यार की जगह प्रताड़ना मिले तो यह सहन न होगा। वह बस यही चाहती है कि जीवन में उसे कभी यह अहसास न दिलाया जाए कि औरत बनकर जीने से अच्छा है कि, वह मर जाए। स्त्री जुल्म सहने के लिए ही पैदा हुई है अहसास को जड़ से मिटाना है। आपसी बहनापा, ठोस विचार औरसंशक्त कार्य-शैली एक दिन अवश्य स्त्री को उसका स्थान दिलाकर रहेगी इसी आशा के साथ!

“हाथ को हाथ सुझाई न दे
बात को बात सुनाई न दे,
सगड़ी तुम जुड़ जाना सखी री,
राह जब कोई दिखाई न दे’।।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

हमारी पूरी सभ्यता मनुष्य के विकास के साथ-साथ स्त्री की गुलामी के विकास का भी दस्तावेज है। घरेलू हिंसा कानून ने भारतीय नारी को इस गुलामी से बाहर निकालने का एक बेहतरीन मौका दिया है, मगर यह बहुत कुछ उसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है उसे कुछ ज्यादा ही जागरूक होने की आवश्यकता है जब तक वह परिवार और समाज की चेतनाशील नागरिक बनने का प्रयास नहीं करेगी, अपने पर होने वाली हिंसा से अपनी रक्षा नहीं कर सकती।”[8]

हरहाल में स्त्री को यह समझना होगा कि मनुष्य होने के नाते पहले वह समाज की अनिवार्य इकाई भी है उसे अपने आप में यह अहसास भी जगाना होगा कि वह स्त्री ही नहीं, इस देश की सम्मानित नागरिक भी है।

पुरूषों की मानसिकता को बदलना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है स्वयं औरत की पुरूष दृष्टि बदलाव हमेशा से एक लम्बी प्रक्रिया रही है किसी समाज को बदलना इतना आसान नहीं, पर यह भी सत्य है कि स्वयं में बदलाव लाकर समाज को भी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है।

“सोना देखा, चाँदी देखी
हीरा देखा, मोतियों की मलाएं देखी,
फिर चाहे हो जितना, फेरबदल जमाने में
सीता और द्रोपदी जैसी, कहानियाँ नहीं देखी।।”

महिला सशक्तिकरण के विविध: या आयाम

सामाजिक सशक्तिकरण

भारतीय वाङ्मय में स्त्री की छवि देवी के रूप में और शक्ति के रूप में दखायी गयी है भारतीय नारीवादी विचारधारा परम्पराओं और पारिवारिक भवनात्मक सम्बन्धों से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त कर देना नहीं चाहती। भारत की अपनी सांस्कृतिक दृष्टि है, जीवन दृष्टि है यहाँ हमने स्त्री को देवी कारूप तो दिया। परन्तु जिन्दगी का यथार्थ यह है कि अक्सर वह देवी नहीं दासी बनकर जीती है स्त्री की माँग यह है कि उसे सिर्फ दिल और दिमाग रखनेवाली मानवी समझा जाए। यह सच है कि भारतीय नारीवादी दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक समाज द्वारा स्थापित कई मूल्यों को चुनौती देता है लेकिन मातृत्व, वात्सल्य और पारिवारिक रिश्तों नातों के मूल्यों का आदर करता है-[9]

औरत को सशक्त बनाने की जरूरत क्यों पडी? यह प्रश्न बार-बार स्त्री के मन में उठता है दरअसल स्त्री को जान लेना चाहिए कि शिक्षा और ज्ञान की सम्पूर्ण व्यवस्था पितृसत्तात्मक है इसी शिक्षा को हथियार बनाकर स्त्री को ताकत हासिल करने की आवश्यकता है ताकत हासिल किए बगैर न उसका विकास कभी नहीं हो पाएगा। स्त्री को पुरूषों की तरह ही सभी संसाधनों पर अपना समान नियन्त्रण रखना होगा। ये संसाधन है- भौतिक, मानवीय, बौद्धिक, आर्थिक एवं आस्मिक।

स्त्री को अब स्वयं मूल्यों को तय करने की शक्ति सिखनी होगी। उसे निर्णय लेना सीखना होगा। उसे संसाधनों का उपयुक्त उपयोग करना सीखना होगा उसे स्त्रियोचित गुण बरकरार रखते हुए बौद्धिकतापूर्ण कार्य करके स्वयं को सिद्ध करना है अपने दोषों को दूर करके, एक-दूसरे का साथ देकर सशक्तता की लहर को फैलाना होगा। स्त्रियों को जो अधिकार हासिल नहीं है उन्हें उसे प्राप्त करना ही होगा जैसे:-

घर-बार पर नियन्त्रण,
अपने शरीर पर हक,
आने-जाने की छूट,
अपनी कोख पर हक

बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी में उनके पिता का साथ, घर की आमदनी पर हक, पुरूषों की बेडियों को तोड़ना इत्यादि।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि जब एक या दो स्त्रियाँ परम्पराओं को तोड़ने का प्रयास करती है तो उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, पर जब स्त्रियों का पूरा समूह विरोध पर उतर जाता है तो समाज को उनके आगे झुकना पड़ता है।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्री पुरूष सम्बन्ध के सम्यक स्वरूप पर श्री बुद्ध ने बल दिया था। सन् 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून लागू हो गया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ और स्त्री के खिलाफ की जाने वाली, कुरीतियों पर रोक गयी। विधवा विवाह और अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्री फूले ने स्त्रियों को शिक्षित करने और उनकों सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आन्दोलन शुरू किए। स्वामी विवेकानन्द ने मातृत्व को स्त्रीत्व की पहचान बताया। तमिलनाडू में पेरिमार ने ब्राह्मणवादी एवं पुरूषवादी व्यवस्था से स्त्री को मुक्ति दिलाने और स्त्री के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया सन् 1882 में मराठी में 'ताराबाई शिन्दे' ने 'स्त्री-पुरूष तुलना' लिखकर पुरूष सत्ता का तीखा विरोध प्रकट किया था उन्होंने तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष का आह्वान किया सन् 1882 में मराठी में 'ताराबाई शिन्दे' ने 'स्त्री-पुरूष तुलना' लिखकर पुरूष सत्रा का तीखा विरोध प्रकट किया था उन्होंने तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष और तनाव को वाणी देते हुए स्त्री पक्ष का जोरदार समर्थन किया सन् 1882 में ही अज्ञात हिन्दू महिला की लिखी 'सीमन्तनी उपदेश' में स्त्री चेतना का प्रबल स्वर है

राजनीतिक सशक्तिकरण

एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब महिलाओं को समाज में यथोचित पद दिया जाये तथा पुरूषों के साथ विकास में बराबर का सहभागी माना जाये। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियन्त्रण प्राप्त करती है अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं के प्रति जागरूक होती है तथा अपना-अपना आत्मविश्वास व आन्तरिक शक्ति को बढ़ाती है जिससे वे जीवन के सभी क्षेत्रों (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) में अपना विकास कर सकें।

'देश को स्वतंत्र हुए 6 दशक बीत चुके हैं और देश ने परिवर्तन के कई नये आयामों को स्थापित किया है नागरिकों को मिले समान-अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को भी शिक्षा सम्पत्ति और विरासत में बराबरी का अधिकार हैं लेकिन इन सबसे बावजूद महिलाओं के लिए देश के रानजतिक मानचित्र पर अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है राजनीति में बराबरी के अधिकार से वंचित है' मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण को लेकर गौरवान्वित महसूस करने में अभी भी लम्बे समय तक इंतजार करना होगा।

आधी आबादी को अपना अधिकार कब मिलेगा? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के दावे तो सभी दलों ने किए हैं, पर क्या संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो वर्तमान में संसद में महिलाओं को 126 ही प्रतिनिधित्व भी बमुश्किल मिला है मतलब को 15वीं लोकसभा में कुल 59 महिलाएं थी यदि संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिल जाए तो 180 महिलाएँ चुनकर आ सकती है जो कि भारतीय राजनीति ने सकारात्मक भूमिका अदा कर बदलाव कर सकती है।[12]

आर्थिक सशक्तिकरण

यदि स्त्री पढ़ी लिखी है और आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो जाए तो क्या उसके प्रति समाज का रवैया बदल जाता है? यह प्रश्न नारी वर्ग के मन में सहज उत्पन्न होता है ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि विकसित देशों में जहाँ स्त्री का जीवन-स्तर ऊँचा है वहाँ भी उसका दमन होता है वहाँ भी असमानता मौजूद है।

"भंवरी देवी का केस कौन भुला पाया है। बलात्कारियों का नाम उजागर होने हर भी कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया। शालिनी भटनागर, अंजु इलियासी, जेसिका लाल एक नेता की पत्नी नैना साहनी, आदिवासी लड़की, प्रियदर्शनी भट्ट मधुमिता और भी न जाने कितनी स्त्रियों की आत्माएं अपने हथियारों को खुलेआम घूमते देख तड़प रही होगी। कहाँ मिली उन्हें मुक्ति?"[13]

आर्थिक शक्ति मिलने के बावजूद स्त्रियों को घरेलू काम में हाथ बंटाने वाला कोई नहीं मिलता। उल्टा कई बार घर के मर्द बिमारी, बेरोजगारी का बहाना बनाकर रह जाते हैं। और सामाजिक बुराईयों में फँसकर रह जाते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक स्त्री अपने को कमतर मानती रहेगी, तब तक बाहरी हस्तक्षेप उसे वह ताकत नहीं देते, जिसके बल पर वह परिवार और समाज के सामने उठकर खड़ी रहे। उसे समाज को यह अहसास दिलाना होगा कि उसका घरबार चलाने में कितना सहयोग है। साथ ही उसे स्वयं भी अपनी योग्यता और समझ की कद्र करनी चाहिए। किसी बाहरी शक्ति का मुँह जोहने की बजाय अपने आसपास की महिलाओं को संगठित करके इस मुहिम को शक्ति प्रदान करनी होगी।[14]

नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएँ

- वैश्यावृत्ति को नारी सशक्तिकरण की परिभाषा में शामिल किया जाता रहेगा।
- जब तक नारीवादी थे तर्क देते रहेंगे के शादी से बाहर जब शारीरिक सम्बन्ध बनाना नारी का अधिकार है?
- जब तक एक धर्म विशेष में पुरूष को कानूनी रूप से 3 शादियाँ करने का अधिकार भी पुरूष के पास रहेगा।

- जब तक हर मन्दिर में औरतों को जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
- जब तक "बेटे द्वारा मुखाग्नि दिए बिना पिता की सद्गति नहीं होता" वाला संस्कार खत्म नहीं हो जाता,
- जब तक सास बहु में दुश्मनी रहेगी
- जब तक माँ स्वयं कन्या भ्रूण हत्या में भागीदार रहेगी।
- जब तक सक्षम महिलाएं बस या रेलगाड़ी में किसी बिमार/प्रौढ़ पुरूष भी सीट छोड़ने के लिए कहना अपना अधिकार समझती रहेगी।
- जब तक महिलायें पुरूष में एक मिश्रा साथी की बजाय एक पालन हारा या सुरक्षा गार्ड देखती रहेगी, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता।

सशक्तिकरण के मार्ग में आई बाधाओं को दूर करने के उपाय

- स्त्री को यौन-शुचिता और नैतिकता से मुक्ति अर्थात धर्मशास्त्रों ने जहाँ एक तरफ स्त्री की देह जो पुरूष के लिए वर्जित क्षेत्र बनाकर शुचिता से जोड़ कर उस पर प्रतिबंध थोप दिए हैं वही उसे पाप, अपराध व शैतानियत तथा नफरत का पर्याय भी घोषित कर रखा है जैसे ही किसी ने छुआ कि वह मैली हुई, जैसे कि वह काई कपड़ा हो या चीज हो, स्त्री को देह की इसी शुचिता से मुक्ति चाहिए।
- स्त्री-देह को व्यभिचार से न जोड़ा जाए अपितु मनुष्य होने के नाते समाज को उसे एक सभ्य नागरिक होने की छवि से विभूषित किया जाए।
- स्त्री देह के अधिकार का दायरा विकसित करने की जरूरत जिसके महत उसे स्वयं निर्णय लेने की आजादी हो, जो न जंचे उसे नकारने की इजाजत हो, इंकार करने का अधिकार हो।
- स्त्री स्वतत्रंता के लिए पुरूष मानसिकता में भी बदलाव जरूरी है।
- न्यू टेक्नोलॉजी और विज्ञान स्त्री को मुक्त करते है खासकर शारीरिक श्रम वाले रोजगार से, वही स्त्री को कुछ हद तक अंधविश्वासों तथा भारी भरकम थामों से मुक्त भी किया है।
- स्त्री सशक्तिकरण 'स्व' का निर्माण करता है, शुचिता का नहीं आज की स्त्री के चिन्तन का विषय यौन-शुचिता नहीं, बल्कि अपने सेल्फ के निर्माण औरविकास की जरूरत का मुद्दा है।
- स्त्रियों को हर मोर्चे पर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम बनना होगा तभी सही मायने में स्त्री-मुक्ति होगी।[16]

विश्लेषण

महिला शक्तिकरण का फलक बहुत ही व्यापक है वह अपने आप में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व राजनीतिक विमर्श बन गया है इसमें एक ओर मनुवादी पुरूष वर्चस्व का विरोध है तो दूसरी ओर भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से उन विशिष्ट तत्वों का स्वीकार भी है जो मानवता के नव विकास के लिए उपयुक्त है आज भारतीय नारी अपने अधिकारों एवं स्वायन्त्रता को पाने के लिए और सब तरह के शोषण से मुक्त होने के लिए संघर्षरत है।

भारतीय नारी परिप्रेक्ष्य में बींसवी सदी के आखिरी पाँच दशक खास महत्त्वप रखता है। शिखा के प्रसार के साथ ही व्यापक साक्षतरा आन्दोलन, सूचना प्राद्यौगिकी और संचार माध्यमों में आयी क्रान्ति के तहत भारतीय नारी समाज में भी सजगता आयी। इस माहौल में पहले की अपेक्षा भारत की महिलाएँ मतदान का अधिकार जिम्मेदारी के साथ सार्थक रूप में निभाती है। महिला प्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलावर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्री न पहुँची हो। भारतीय नारियों ने विमान चलाने से लेकर शून्याधारा की यात्रा तक में सफलता हासिल की है। सक्रिय राजनीति, कुशल प्रशासन, वाणिज्य प्रबन्धन, सूचना प्रोद्यौगिकी और शेयर बाजार जैसी अधमिता की दिशा में भी उन्होंने अपनी विशिष्ट क्षमताओं का परिचय पूरे विश्व को दिया है। स्त्रियों को संसद और विधानसभा में ज्यादा प्रतिशत आरक्षण देने की माँग जोर पकड़ी यद्यपि अब तक वह विधेयक पारित नहीं हुआ।

महिलाओं की इतनी उपलब्धियों के बावजूद हमारे इतने बड़े देश में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा नहीं है यह एक दुख सत्य है। भूमण्डलीकरण के कारण, उच्चवर्ग तथाा उच्चवर्ग में मौजूद तथाकथित 'पेपर वुमेन' समाज की बहुतसंख्यक आम औरतों से नितान्त भिन्न है वे बहुतसंख्यक आम औरतों से नितान्त भिन्न है वे बहुतसंख्यक औरते अब भी अशिक्षा, अज्ञान और गरीबी से मुक्त नहीं हुई है वर्तमान उपभोक्तावाद के कारण उनके लिए यह दौर शोषण का ही दौर है भूमंडलीकरण और उपभोक्तावाद के वर्तमान माहौल में एक ओर स्त्री देह और उसका सौन्दर्य विकाऊ हो गया है। स्त्री सौन्दर्य का फूहड़ इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ादवाद के इस दौर में स्त्री को वस्तु मात्र बनाने की होड़ सी लगी है। भारत की आम महिलाओं का बहुतसंख्यक हिस्सा और भी अपने को पुरूष वर्ग की हासता से मुक्त नहीं कर पाता है पितृसत्तात्मक समाज के माहौल में पलने के बतौर औरते कई तरह की मानसिक ग्रन्थियों से पीड़ित है जिनसे स्वयं मुक्त होकर उन्हें अपनी दिशा तय करनी है फिलहाल स्त्री आन्दोलनों को स्त्री समाज में व्याप्त इन असमानताओं और खामियों को उखाड़ने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा।

सन्दर्भ

1. पैलिनीथूराई, जी., इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, वो. ग्स् टम्प् नं. 1, जनवरी-मार्च 2001, पृ. 39
2. लवानिया, एम.एम., भारतीयों महिलाओं का सामजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
3. स्त्रोत, Bharmverchandel भारत में महिला सशक्तिकरणः दशा और दिशा Journalistdharamveer.blagspot.com/.../b1....
4. मार्चे पर स्त्रीः अंजू दुआ जर्मिनी
5. प्रकाशक (कल्याणि शिक्षा परिषद्) नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृ. 202. सीढ़ी दर सीढ़ी-पृ. 203.

6. स्त्री मुक्तिः संघर्ष और इतिहास- रमणिका गुप्ता प्रकाशकए सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2014, पृ. 170, 62, वही पृ. 104, 105, 106.
7. स्त्रोतः महिला सशक्तिकरणः नये आयाम (प्रेरणा भारती) www.prernabharti.com.../303/ महिला
8. स्त्रोतः Happy Wopmen's day परन्तु हमारी महिला सशक्तिकरण-https:// pushpenderblog.wordpress.com
9. मोर्चे पर स्त्री (अंजु दुआ जेमिनी) प्रकाशक (कल्याणि शिक्षा परिषद् नई दिल्ली 11002) संस्करण (2010)] पृ0 205, 206.
10. स्त्रोतः Meri Kavitayen: (राजनीति में महिला आरक्षण) prixagnihetri.blogspot.com/.../blog-post..
11. स्त्रोत : (महिला सशक्तिकरण की राजनीतिक अवधारणा) 15HJ.org/article.aspx?.
12. स्त्री विमर्श ने स्त्री को वस्तु से व्यक्ति बनाया पृ. (61, 62)
13. स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास- रमणिका, गुप्ता प्रकाशक - सामाजिक प्रकाशन, नई दिल्ली-110002, संस्करण- 2014.
14. स्त्री विमर्शः भारतीय परिप्रेक्ष्य (डॉ. के. एम. मालती प्रकाशक (वाणी प्रकाशन- नई दिल्ली-110002), संस्करण-2010, पृ. 27, 74.
15. भारतीय नारीवाद की अवधारणा (नारीवाद, राजनीति संघर्ष सम्पादक, साधना आर्य निवेदिता मेनन, एवं मुद्दे), जिनी लोकनीता, पृ. 153, 154, 155, 156.
16. हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली-110007 द्वारा प्रकाशित (प्रथम संस्करण- 2001)